पत्रांक 369 /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/विधि–अनुभाग/2016–17/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक::देहरादून :: 25 अप्रैल, 2016

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
एवं समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विभाग में 01 लाख से अधिक व्यापारी पंजीकृत हैं किन्तु इन व्यापारियों में से लगभग 65 हजार व्यापारियों द्वारा ही नियमित रूप से सावधिक विवरणी (त्रैमासिक रिटर्न) प्रस्तुत की जा रही हैं। विवरणी न दाखिल करने वाले व्यापारियों में ऐसे संकर्म संविदाकार भी हो सकते हैं जिनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प लिया गया है, एवं उनका त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने का दायित्व नहीं है। ऐसे व्यापारियों को विचार में लिये जाने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट होता है कि काफी संख्या में ऐसे व्यापारी हैं जिनके द्वारा वास्तव में कोई व्यापार नहीं किया जा रहा है तथा इस कारण उनके द्वारा कोई रिटर्न भी दाखिल नहीं की जा रही है। ऐसे व्यापारियों के सम्बन्ध में पूर्व में कुछ व्यापारियों की पत्रावली सदैव के लिये बन्द कर दी गयी है परन्तु कम्प्यूटर सिस्टम में टिन निरस्त नहीं किया गया है अथवा व्यापार बन्द हो चुका है किन्तु पत्रावली बन्द नहीं की गयी है। इनमें कुछ ऐसे संकर्म संविदाकार भी हो सकते हैं, जिनके द्वारा टैण्डर प्राप्त करने हेतु पंजीयन लिया गया हो एवं उन्हें कोई टैण्डर न मिला हो। ऐसे व्यापारियों को बोगस व्यापारी का नाम भी दिया जा सकता है। ऐसे व्यापारियों के पंजीकृत होने के कारण विभाग पर अनावश्यक रूप से कार्य का भार पड़ता है। प्रायः ऐसे व्यापारियों के सम्बन्ध में कर निर्धारण की कार्यवाही की जाती है तथा मांग सृजित की जाती है, जिसकी वसूली नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारियों का भी अनावश्यक रूप से समय व्यर्थ होता है।

अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के पंजीकृत व्यापारियों के सम्बन्ध में जांच कर पंजीयन निरस्त करते हुये इन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। अतः इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते हैं:–

1– प्रत्येक खण्डाधिकारी/डिप्टी कमिश्नर अपने खण्ड से सम्बन्धित ऐसे व्यापारियों की सूची तैयार कर लें जिनके द्वारा गत तीन वर्षों (वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16) में कोई रिटर्न दाखिल नहीं की गयी है। बोगस पैंडेंसी में उन व्यापारियों को भी शामिल किया जायेगा जिनके द्वारा दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2015 के मध्य पंजीयन लिया गया हो परन्तु उनके द्वारा कोई रिटर्न दाखिल नहीं की गयी हो।

2– उक्त प्रकार तैयार की गयी सूची में से, संविदाकारों को छोड़ते हुये शेष ऐसे पंजीकृत व्यापारी जिनके द्वारा कोई रिटर्न दाखिल नहीं किये जा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में व्यापार किये जाने की कोई सूचना नहीं है तथा पूर्व के वर्ष में रिटर्न प्रस्तुत न करने पर भी उन्हें करमुक्त घोषित किया गया है, का पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा एवं इनके गत 03 वर्षों के वादों को आदेश फलक पर कर मुक्त घोषित करते हुये पेंडेंसी से बाहर कर दिये जायेंगे।

parivad

3– प्रस्तर–1 में बनाई गई सूची में से, संविदाकारों को छोड़ते हुये व प्रस्तर–2 में पंजीयन निरस्त किये गये व्यापारियों के अतिरिक्त शेष व्यापारियों के व्यापार स्थल की जांच की जायेगी। यदि जांच पर कोई व्यापार होना नहीं पाया जाता है अथवा व्यापार छोटे स्तर का होने के कारण पंजीयन योग्य सीमा से कम है, तो ऐसे व्यापारियों के पंजीयन निरस्त कर इनके गत 03 वर्षों की पेंडेंसी को भी करमुक्त करते हुये पेंडेंसी समाप्त कर दी जाये।

4– प्रस्तर–1 में बनाई गई सूची के व्यापारियों में से ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा संकर्म संविदाकार के रूप में पंजीयन प्राप्त किया गया है तथा गत तीन वर्षों में समाधान योजना हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है एवं न ही उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार के टीडीएस या किसी ठेके के भुगतान के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध हो, के पंजीयन निरस्त करते हुये विभागीय वेबसाइट पर भी पंजीयन निरस्त करते हुये गत तीन वर्षों की पेंडेंसी से भी ऐसे व्यापारियों को करमुक्त मानते हुये इनके वादों को पेंडेंसी से हटा दिया जाए।

5– प्रस्तर–1 में बनाई गई सूची की एक प्रति बैबसाइट पर तथा एक प्रति कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी, ताकि व्यापारी व अधिवक्ता सूची का अवलोकन कर सकें।

6– प्रस्तर–3 में दिये गये व्यापारियों की जांच सिर्फ इस तथ्य की जानकारी प्राप्त करने हेतु की जानी है, कि व्यापारी का पंजीयन निरस्त व पेंडेन्सी समाप्त किये जाने योग्य है अथवा नहीं।

7– खण्ड कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के व्यापारियों की जांच सम्बन्धित खण्ड में तैनात असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी दोनों के द्वारा की जायेगी, जिसमें वे स्वयं अपने–अपने जांच का क्षेत्र निर्धारित करेंगे।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) की पेन्डेन्सी में यदि ऐसे व्यापारी हैं, तो ऐसे समस्त मामलों में व्यापार स्थल की जांच करके कार्यवाही की जायेगी।

8– बोगस पैंडेंसी से हटाये जाने वाले व्यापारी की उक्त तीनों वर्षों का एक ही आदेश फलक बनाया जायेगा, जिस पर खातापालक रिपोर्ट अंकित करेंगे कि व्यापारी द्वारा कोई रिटर्न दाखिल नहीं की गयी है व न ही कोई सूचना प्राप्त है व न ही गत वर्ष का कोई स्टॉक व फॉर्म शेष है।

9– संकर्म संविदाकार से सम्बन्धित ऐसे आदेश फलक पर पत्रावली बन्द करने के निर्देश वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा किये जायेंगे तथा कम्प्यूटर सिस्टम में भी पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। अन्य व्यापारियों के सम्बन्ध में जिनके द्वारा जांच की गयी है, उनके द्वारा ही जांच का संक्षिप्त वर्णन आदेश फलक पर करने के उपरान्त पंजीयन कम्प्यूटर सिस्टम पर निरस्त किया जायेगा व तीनों वर्षों की पैंडेंसी से हटाया जायेगा। उक्त आदेश फलक अभिलेख हेतु गोपनीय पत्रावली पर लगाया जायेगा तथा पंजीयन प्रार्थना पत्र भी इस आशय का अंकन किया जाएगा कि पंजीयन निरस्त कर दिया गया है।

10– ऐसे व्यापारी/संविदाकार जिनका पंजीयन निरस्त किया गया है एवं पेंडेन्सी समाप्त की गयी है, की सूची कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड पर व वैबसाइट पर अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष सतर्कता रखनी है। यह पंजीयन व पेंडेन्सी कम्प्यूटर सिस्टम व कार्यालय रिकॉर्ड से निस्तारित हो जाये ताकि भविष्य मे अनावश्यक रूप से वादों के निस्तारण में अनावश्यक समय व्यर्थ न हो।

11– उक्त कार्यवाही एक अभियान के तहत की जायेगी, जो 01 मई, 2016 से 30 जून, 2016 तक चलेगा।

12– सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर इस अभियान को सफल बनाने हेतु ब्यौहारियों व अधिवक्ताओं के मध्य समन्वय करेंगे तथा इनके संघों के साथ बैठक भी आहूत करेंगे। अभियान की मॉनीटरिंग भी समय–समय पर करेंगे तथा कर निर्धारण कार्यालयों से सूचना प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक सप्ताह की सूचना अगले सोमवार या सोमवार को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में मुख्यालय को निम्न प्रारूप में प्रेषित की जायेगी।

बोगस पेन्डेन्सी हटाये जाने की सूचना

(दिनांक ..... से ..... तक)

| क्रम सं0 | कार्यालय का नाम | 1.04.13 से 31.03.16 तक रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों की संख्या | | व्यापारियों की संख्या जिनकी जांच की गयी | | पेन्डेन्सी से हटाये गये व्यापारियों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संकर्म संविदाकार | सामान्य व्यापारी | असि0 कमि0 द्वारा | वा0क0 अधि0 द्वारा | संकर्म संविदाकार | सामान्य व्यापारी |
| | | | | | | | |

13– एडीशनल कमिश्नर व ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) अपने अधिकार क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे। इस सम्बन्ध में व्यापार संघों व अधिवक्ता संघो से मीटिंग कर योजना की जानकारी देंगे।

जोनल एडीशनल कमिश्नर भी पाक्षिक रूप से उक्त का अनुश्रवण करेंगे। मुख्यालय स्तर पर श्री सी0एस0 बनर्जी वाणिज्य कर अधिकारी, मुख्यालय उक्त की मॉनीटरिंग हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं, जोकि ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) द्वारा प्रेषित सूचनाओं का संकलन करते हुये अधोहस्ताक्षरी एवं एडीशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान) वाणिज्य कर, मुख्यालय को अवगत करायेंगे।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0पं0सं0 369 /दिनांक :: उक्त ::

**प्रतिलिपि** :– 1– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर जोन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में नियमित रूप से मॉनीटरिंग करना सुनिश्चित करें।

2– ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार /रूड़की/ काशीपुर/बाजपुर/रूद्रपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर से उक्त के सम्बन्ध में कड़ाई से प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करते हुये मुख्यालय को भी अवगत करायें। यदि किसी अधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु शिथिलता अथवा अकर्मण्यता परिलक्षित होती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु नाम मुख्यालय को प्रेषित करें।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

parivad